न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 121 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

	रेसपोडेंटगण
जीयो पुत्री धन्नाराम पत्नी हुकमाराम जाति जाट निवासी धोलिया (चोचरा) तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. मगीदेवी पुत्री धन्नाराम पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी कानासर हाल निवासी रिछूसर (खींपसर) तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. दानाराम पुत्र सामाराम 3. दुर्गाराम पुत्र सामाराम 4. भीखाराम पुत्र सामाराम 5. आदूराम पुत्र गुमनाराम का.मु. 5/1भूराराम पुत्र आदूराम 5/2डालूराम पुत्र आदूराम 5/3विरधाराम पुत्र आदूराम 5/4हथू पत्नी आदूराम 6. रतनाराम पुत्र गुमनाराम का.मु. 6/1मुलाराम पुत्र रतनाराम 6/2डाऊराम पुत्र रतनाराम 7. मोटाराम पुत्र तुलछाराम 8. मगाराम पुत्र तुलछाराम 9. खेताराम पुत्र दीपाराम 10. बाबूलाल पुत्र दीपाराम 11. मु. केसी पत्नी दीपाराम 12. गोरधनराम पुत्र पेमाराम का.मु. 12/1नाथूराम पुत्र गोरधनराम 12/2देवाराम पुत्र गोरधनराम 12/3गोरखाराम पुत्र गोरधनराम 12/4अचलाराम पुत्र गोरधनराम 12/5लक्ष्मी पत्नी गोरधनराम 13. राजूराम पुत्र पेमाराम 14. सताराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी कानासर तहसील शिव जिला बाड़मेर 15. प्रबन्धक, दी बाड़मेर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शिव 16. श्रीमान तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2016 बअनवान मगीदेवी बनाम जीया वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बालाराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रेखाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–11.07.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 14 की अविभाजित, संयुक्त हक एवं कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 123, 134, 135 रकबा क्रमशः 38.06, 0.05, 48.15 बीघा मौजा कानासर, खसरा संख्या 46 रकबा 75.12 बीघा मौजा शिवाजी नगर, खसरा संख्या 6 रकबा 174.04 बीघा मौजा नागोणा व खसरा संख्या 584/390 रकबा 148.01 बीघा मौजा धोलिया(चोचरा) तहसील शिव में अवस्थित है। पक्षकार जाति से जाट होने एवं हिन्दू परिवार के होने से हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीनी की माता जेतीदेवी के साथ हुई। जेतीदेवी का देहान्त होने पर वादीनी के पिता द्वारा दूसरा विवाह प्रतिवादीनी संख्या 1 चम्पादेवी के साथ किया। प्रतिवादीगण संख्या 01 चम्पादेवी वादीनी की सौतेली माता है एवं प्रतिवादीनी संख्या 2 की जन्मदायी माता है। इस प्रकार धन्नाराम के देहान्त के समय उसके वारिसान में दो पुत्रियां व पत्नी थी। धन्नाराम के फौत होने पर उनके फौतगी म्यूटेशन में राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादीनी संख्या 1 व 2 को विरासती नामान्तकरण दर्ज करते हुये वादीनी को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वादीनी गांव की अशिक्षित महिला होने एवं विवाह हो जाने के कारण ससुराल में रहने के कारण अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया जबकि ऐसा करने का उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं था। इसलिए वादीनी द्वारा हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद की सुनवाई के दौरान अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्रकरण की मूल पत्रावली का अच्छी तरह अवलोकन करने से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अपीलांट वादग्रस्त खेत के रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना व उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी हनन हुआ है तथा अपीलांट को अपने अधिकारों से महरूम होना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि हस्तगत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है तो अपील स्वीकार करने में रेस्पोडेंटस को कोई आपति नहीं है। इस आशय का मजमून आदेशिका पर लिखकर हस्ताक्षकर किये।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को वादी द्वारा पेश किये गये वाद के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था परन्तु वर्तमान में उतरदाता संख्या 1 द्वारा मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगा तथा धमकी दी कि मैने वादग्रस्त भूमि का छिपे तौर से मेरा नाम डलवा दिया है जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 28.09.2022 को नकले प्राप्त की जिस पर अपीलांट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। वक्त बहस रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने अपील को स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड करने में सहमति जाहिर की है। हस्तगत प्रकरण को उभयपक्ष द्वारा रिमाण्ड करने में सहमति जाहिर करने से प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को रिमाण्ड करना उचित होगा। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2016 बअनवान मगीदेवी बनाम जीया वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई 90 दिवस में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(अजीत सिंह रावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर